



बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या— **FC-319**

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय भा० व० से०
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
 -सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
 बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
 बिहार सरकार, पटना।

पटना 15, दिनांक— **22/04/2019**

विषय — सारण जिलान्तर्गत छपरा शहर के गाँधी चौक से नगरपालिका चौक के लिये प्रस्तावित फलाई ओवर निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.41 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर अन्तिम स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग — भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/35534/2018/3001 दिनांक 14.03.2019

महाशय,

प्रसंगाधीन पत्र द्वारा विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई थी। सैद्धान्तिक सहमति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन वरीय परियोजना अभियन्ता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, सारण प्रमंडल, छपरा के पत्रांक 186 (अनु०) दिनांक 01.04.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है जो निम्नवत् है—

क्रम सं	MoEF&CC क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्र दिनांक 14.03.2019 में निहित कंडिका	अनुपालन
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि प्रस्तावित पथांश में अपयोजित होने वाली वन भूमि के Legal status (वैधानिक स्थिति) में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	The State Govt. shall charge the Net Present Value (NPV) of forest area proposed to be diverted under this proposal from the user agency as per the Orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition ..	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 2.41 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 15,08,660/- (रु० पन्द्रह लाख आठ हजार छः सौ साठ) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।
	Note: Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India, shall be charged by	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बचनबद्धता दी गयी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, अंतिम आदेश प्राप्त होने के उपरान्त भी यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त NPV की राशि देय होगी तो उसका

3	Compensatory Afforestation over the degraded forest land twice in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State forest Department at the cost of the user agency. The user agency shall transfer the cost of plantation and its maintenance for 10 years (revised as on the date to incorporate the existing wage structure) to State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण मद की कुल राशि रु० 22,44,774/- (रु० बाईस लाख चौवालीस हजार सात सौ चौहत्तर) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।
4	User Agency should ensure that the Compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank online only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the State-I clearance.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा NPV एवं CA मद की कुल राशि रु० 37,53,434/- (रु० सैतीस लाख तिरपन हजार चार सौ चौतीस) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जिसका UTR No. PUNBR52019032516387581 दिनांक 25.03.2019 एवं राशियाँ Ministry website पर प्रदर्शित है।
5 a	Felling of trees above 60 cm girth as required should be done under the supervision of the concerned Divisional Forest Officer. As recommended by the State Forest Department, the trees under 60 cm girths shall be translocated by the User Agency at their own cost as per instructions of the DFO.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के Supervision में 60 cm grith से उपर वाले वृक्षों का आवश्यकतानुसार कम से कम पातन कराया जायेगा एवं 60 cm grith से कम वाले वृक्षों को Translocated कराया जायेगा
b	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads segment covered under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना निर्माण के उपरान्त इन शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
c	Earth or any other material shall not be brought from and debris resulting during construction shall not be disposed of in the adjoining forest area by the user agency.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचना दी गयी है कि पथ निर्माण के क्रम में वन भूमि से मिट्टी या कोई अन्य Material नहीं लिया जायेगा और न ही कचड़ें आदि का Disposal वन भूमि पर किया जायेगा।
6 a	It will be the responsibility of the User Agency to ensure that the labourers and staff engaged in construction	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचना दी गयी है कि परियोजना निर्माण के क्रम में मजदूरों एवं अन्य कर्मियों द्वारा वन क्षेत्र में किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
b	The User Agency shall provide LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas for collection of firewood for their use.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचना दी गयी है कि पथ निर्माण के क्रम में नियोजित मजदूर एवं Working staff को LPG सुविधा दी जायेगी जिससे नियोजित कर्मी निकट के वन को क्षति नहीं पहुँचायें।

7	The lay out plan of the proposed forest land shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है कि पर्यावरण एवं वन विभाग की अनुमति के बिना परियोजना lay out plan में बदलाव नहीं किया जायेगा।
8	The forest land proposed for diversion shall, under no circumstances, be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्वानुमति के बिना किसी दुसरे विभाग/संस्था/व्यक्ति को वन भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा।
9	The user agency and the State Government shall ensure compliance to provision of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि परियोजना के कार्यान्वयन के समय all acts, Rules, Regulation and Guidelines का पालन किया जायेगा।
10	Any other conditions that the Ministry of Environment & Forests may impose from time to time in the interest of afforestation, conservation and management of flora and fauna in the area, shall be complied by the user agency.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्गत वन (संरक्षण) संबंधी सभी आदेश एवं नियम का पालन किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सभी अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार को विषयगत परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.41 हे० सुरक्षित वन घोषित, भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

ह०/-

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- FC-319

दिनांक- 22/04/2019

प्रतिलिपि- वरीय परियोजना अभियन्ता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, सारण प्रमंडल, छपरा /वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

9/C

(ए० के० पाण्डेय)


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Regional Ranchi															
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Saran/ Forest Division-Saran															
3	Name of User Agency nature of proposal	The Senior Project Engineer, Bihar Rajya Pul Nirman Ltd. Saran Division Bihar															
4	Extent of forest area involved	2.41 ha															
5	Whether Original, or extension	Original															
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	NA															
7	Date of 1st stage Clearance	14.03.2019															
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.																
	a. Compensatory Afforestation	22,44,774/-															
	b. Additional CA																
	c. Penal CA																
	d. Catchment Area Treatment																
	e. Wildlife Management Plan																
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas																
	g. Net present Value	15,08,660/-															
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)																
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph 9	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">S. N o</th><th style="width: 10%;">MODE Remtt.</th><th style="width: 35%;">U.T.R No. and Dated</th><th style="width: 20%;">Amount</th><th style="width: 30%;">Head</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>RTGS</td><td>PUNBR52019032516387581 dt.25.03.2019</td><td>15,08,660/- 22,44,774/-</td><td>NPV CA</td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td><td>37,53,434/-</td><td></td></tr> </tbody> </table>	S. N o	MODE Remtt.	U.T.R No. and Dated	Amount	Head	1	RTGS	PUNBR52019032516387581 dt.25.03.2019	15,08,660/- 22,44,774/-	NPV CA	TOTAL			37,53,434/-	
S. N o	MODE Remtt.	U.T.R No. and Dated	Amount	Head													
1	RTGS	PUNBR52019032516387581 dt.25.03.2019	15,08,660/- 22,44,774/-	NPV CA													
TOTAL			37,53,434/-														
10	Whether deposited by RTGS/NEFT, if so, the particulars & date of remittance	All above RTGS Challan for Ad-hoc CAMPA dated. 25.03.2019															
11	Bank [Corporation Bank, Lodhi Complex] in which deposited, with date of deposition	All above RTGS Challan for Ad-hoc CAMPA dated. 25.03.2019															
12	Any other remarks																


 Signature of APCCF (CAMPA),
 -Cum-Nodal Officer (FC)